oliveboard

UP SI 2021

मूल विधान / संविधान भाग 3

संविधान

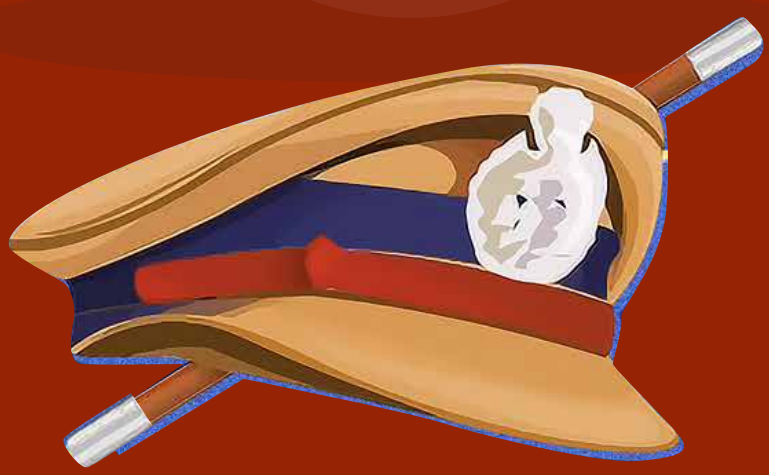

यूपी एसआई की तैयारी के लिए पूरी ईबुक डाउनलोड करे

मूल विधान / संविधान

भाग 3 - संविधान

- संविधान का उद्देश्य ..... (पृष्ठ सं : 3 - 5)
- मौलिक अधिकार ..... (पृष्ठ सं : 5)
- नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य ..... (पृष्ठ सं : 6 - 7)
- केंद्रीय एवं प्रदेशिक राज्यों का गठन एवं उनके अधिकार ..... (पृष्ठ सं : 8 - 9)
- कानून बनाने का अधिकार ..... (पृष्ठ सं : 9)
- स्थानीय शासन ..... (पृष्ठ सं : 10 - 11)
- केंद्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध ..... (पृष्ठ सं : 12)
- निर्वाचन ..... (पृष्ठ सं : 12 - 13)
- संवैधानिक अनुसूचियां ..... (पृष्ठ सं : 14 - 15)
- अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति ..... (पृष्ठ सं : 15 - 17)

Oliveboard
यूपी पुलिस एसआई 2021
फ्री मॉक टेस्ट
· नवीनतम परीक्षा पैटर्न
· विस्तृत समाधान और परीक्षण विश्लेषण
अभी प्रयास करें
(हिंदी और अंग्रेजी में)

मुख्य बिंदु :

भाग 1 - दण्ड संहिता (यहाँ डाउनलोड करें)

- भारतीय दण्ड विधान एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता

भाग 2 – प्रावधान और अधिनियम (यहाँ डाउनलोड करें)

- महिलाओं , बच्चों ,अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने सम्बन्धी विधिक प्रवधान
- यातायात नियम (मोटर वाहन अधिनियम, 2019)
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005
- आय-कर अधिनियम, 1961
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम,1980
- आईटी अपराध
- साइबर अपराध-2000
- जनहित याचिका
- महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
- भूमि सुधार,1950
- भूमि अधिग्रहण,2013
- भू-राजस्व सम्बन्धी कानून,1901

संविधान

संविधान का उद्देश्य

संविधान शब्द लैटिन भाषा के शब्द ' गठित ' से बना है जिसका अर्थ है 'स्थापित करना' है। भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जो समाज के हर वर्ग को न्याय दिला सके । सबको आगे बढ़ने का सामान अवसर मिले , एक ऐसी व्यवस्था जो जाति धर्म सम्प्रदाय से परे हो । निसंदेह आज हमारे पास बेहतर न्याय व्यवस्था है ,आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर है पर सवाल यह उठता है की क्या सत्तर साल से ज्यादा वक्त बीत जाने पर हम संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहे हैं? संविधान कुछ बुनियादी कानून बनाता है। ये कानून समझाते हैं कि समाज पर किसका शासन होना चाहिए और यह कैसे होना चाहिए। इसे राष्ट्रीय पहचान या मौलिक पहचान कहा जाता है। लोगों द्वारा बुनियादी नियमों और विनियमन को स्वीकार करके इसे राजनीतिक पहचान कहा जाता है। नैतिक पहचान का मतलब है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह समाज के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे नैतिक पहचान कहा जाता है।

भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं।

भाग	विषय	अनुच्छेद
भाग 1	संघ और उसके क्षेत्र	(अनुच्छेद 1-4)
भाग 2	नागरिकता	(अनुच्छेद 5-11)
भाग 3	मूलभूत अधिकार	(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग 4	राज्य के नीति निदेशक तत्व	(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग 4A	मूल कर्तव्य	(अनुच्छेद 51A)
भाग 5	संघ	(अनुच्छेद 52-151)
भाग 6	राज्य	(अनुच्छेद 152 -237)
भाग 7	संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित	(अनुचछेद 238)
भाग 8	संघ राज्य क्षेत्र	(अनुच्छेद 239-242)
भाग 9	पंचायत	(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग 9A	नगरपालिकाएं	(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग 10	अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र	(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग 11	संघ और राज्यों के बीच संबंध	(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग 12	वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद	(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग 13	भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग 14	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	(अनुच्छेद 308 -323)
भाग 14A	अधिकरण	(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग 15	निर्वाचन	(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग 16	कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध सम्बन्ध	(अनुच्छेद 330- 342)
भाग 17	राजभाषा	(अनुच्छेद 343- 351)
भाग 18	आपात उपबन्ध	(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग 19	प्रकीर्ण	(अनुच्छेद 361 -367)
भाग 20	संविधान के संशोधन	अनुच्छेद

भाग 21	अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध	(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग 22	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	(अनुच्छेद 393 - 395)

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये प्राकृतिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वार हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नही कर सकता। मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (a) के अन्तगर्त क़ानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है । मौलिक अधिकार नागरिक और रहेवासी को राज्य की मनमानी या शोषित नीतियो और कार्यवाही के सामने रक्षण प्रदान करने के लिए दिये गए। संविधान के अनुच्छेद 12 मे राज्य की परिभाषा दी हुई है की "राज्य" के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान- मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

मौलिक अधिकार	अनुच्छेद
समानता का अधिकार	अनुच्छेद 14 से 18 तक
स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 19 से 22 तक
शोषण के विरुध अधिकार	अनुच्छेद 23 से 24 तक
धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार	अनुच्छेद 25 से 28 तक।
सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार	अनुच्छेद 29 से 30 तक।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार	अनुच्छेद 32

नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य :

संविधान कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करता है, यद्यपि ये न्यायालय में कानूनन न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते, परन्तु देश के शासन के लिए मौलिक हैं, और कानून बनाने में इन सिद्धान्तों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये निर्धारित करते हैं कि राज्य यथासंभव सामाजिक व्यवस्था जिसमें-सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में कायम करके जनता नीतियों को ऐसी दिशा देगा ताकि सभी पुरुषों और महिलाओं को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन मुहैया कराए जाएं। समान कार्य के लिए समान वेतन और यह इसकी आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो, कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने, बेरोजगार के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी एवं असमर्थता या अयोग्यता की आवश्यकता के अन्य मामले में सहायता करना। राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कार्य की मानवीय स्थितियों, जीवन का शालीन स्तर और उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने के प्रयास करेगा।

महत्वपूर्ण निर्देशक तत्वों में यह भी है की बच्चों के लिए अवसरों और सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं ताकि उनका विकास अच्छी तरह हो, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों का संवर्धन ग्राम पंचायतों का संगठन; कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना; पूरे देश के लिए एक समान सिविल कोड लागू करना, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करना, मुक्त कानूनी सहायता की व्यवस्था, पर्यावरण की रक्षा और उन्नयन और देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना; अंतरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का विकास, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानजनक संबंध, अंतरराष्ट्रीय कानूनों संधि बाध्यताओं का सम्मान करना, मध्यवर्ती द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटान करना।

भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग IV-A में 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51(A) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के ज़रिये संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन

USSR के संविधान से प्रेरित है। इसे श्री स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की ज़रूरत एवं आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए लाया गया था। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह-

संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों,संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे व उनका पालन करे।
भारत की संप्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें।
देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें।
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।
हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा करे और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें ।
सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।
6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।

केंद्रीय एवं प्रदेशिक राज्यों का गठन एवं उनके अधिकार

सामान्य रूप से प्रभुसत्ता का विभाजन संघीय एवं राज्यसरकारों के मध्य उनके संविधान में उल्लिखित होता है जो उस संविदा को अंतिम रूप से पुष्ट करता है। भारतीय संविधान का संघीय चरित्र इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, हालाँकि भारतीय संविधान में कहीं भी महासंघ या फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बल्कि इसके स्थान पर भारतीय संविधान में भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में संबोधित किया गया है। इसमें राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं एवं उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं।वास्तव में महासंघ दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उनके संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता है।संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम-से-कम दो स्तर मौजूद हैं- पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्यीय स्तर पर कार्य करती है। सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य एक-दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक-दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है।

केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग XI और XII में विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों के तहत किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 256-263 तक केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केंद्र व राज्यों की सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल से होता है।

भारतीय संविधान ने प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया है। इसमें IAS और IPS जैसी अनिल भारतीय सेवाओं का निर्माण और उन्हें राज्य के प्रमुख पद आवंटित करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की मौजूदगी से केंद्र सरकार को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और उनके माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण रखने का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि केंद्र का अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर अधिकार होता है।

भारत में गठित कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों पर सम्मिलित राज्यों के नाम इस प्रकार हैं:

- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: पंजाब, हरियाण, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमांचल प्रदेश राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ।
- मध्य क्षेत्रीय परिषद: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ ।

- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम।
- पश्चिम क्षेत्रीय परिषद: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव एवं दादर तथा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ।
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र ।

कानून बनाने का अधिकार

किसी भी देश राज्य या समाज को चलाने के लिए एक कानून बनाये जाते हैं। व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ नियम की जरूरत होती है। उस नियम और कानून में बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। जहां नियम काम करने के तरीके को बताता है वहीं कानून उस तरीके और अनुशासन के टूटने पर उठाए जाने वाले कदम को बताता है। भारत में किसी व्यक्ति को सजा संविधान के कानून के अनूसार दिया जाता है। कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर ही काम होता है। कानून का उल्लेख संविधान में किया गया है। कानून में समय-समय पर संशोधन किया जाता है और कभी-कभी नये कानून भी बनाए जाते हैं।

भारत में तीन तरह से कानून का निर्माण होता है। एक केंद्र स्तर पर कानून बनते है जो पूरे देश में लागू होते हैं। दूसरा प्रदेश स्तर पर कानून बनते हैं जो किसी आमुक प्रदेश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तीसरा राज्य और प्रदेश के द्वारा मिल कर बनाया जाता है।

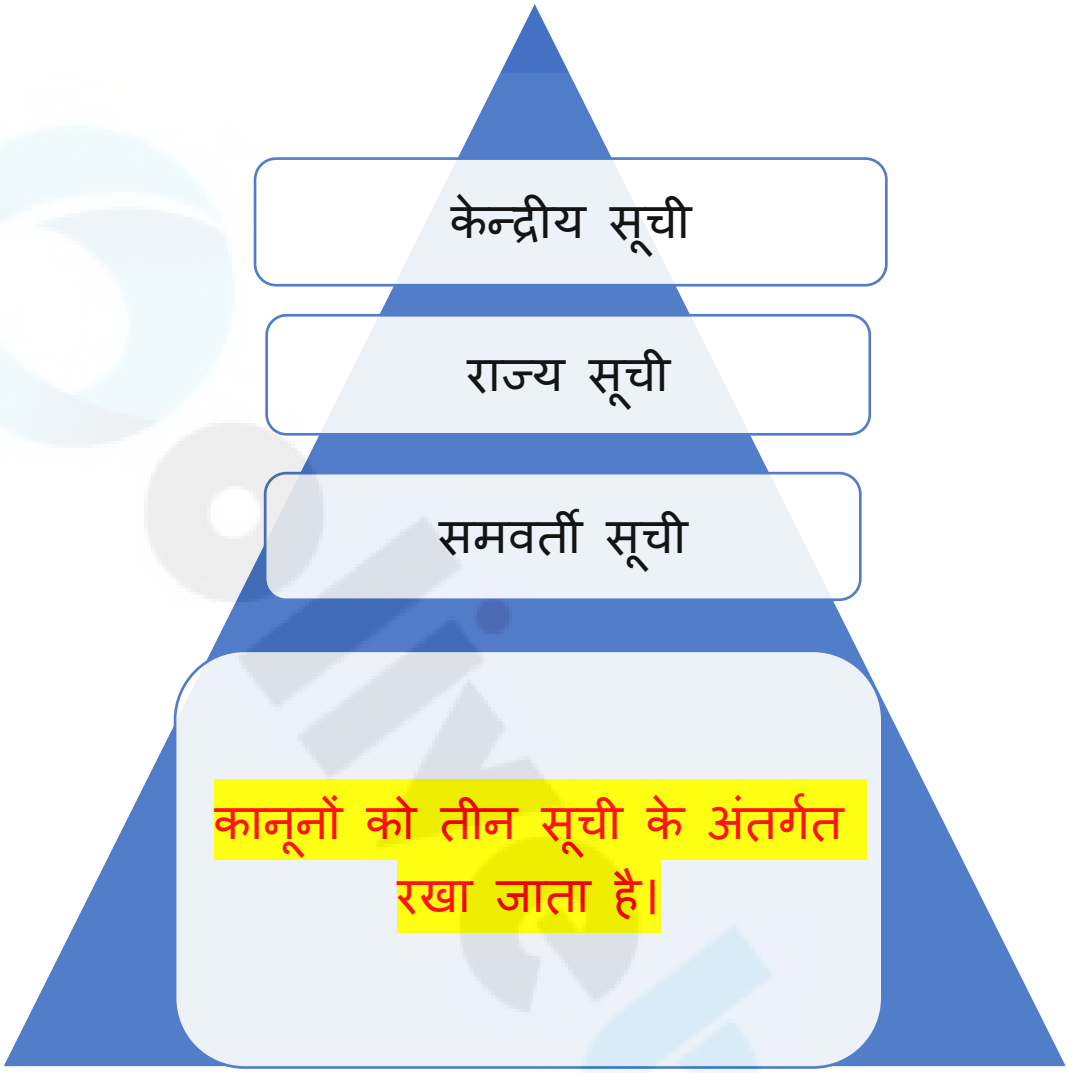

स्थानीय शासन

इस संदर्भ में वर्ष 1882 को काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय के गठन की पहल की थी, उल्लेखनीय है कि उस समय इन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। स्थानीय शासन द्वारा स्वशासन की व्यवस्था को स्थानीय स्वायत्त शासन कहते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन के दो मूल कारण हैं- पहला, यह व्यवस्था शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाती है; दूसरा, स्थानीय लोगों की भागीदारी सक्षम बनाती है, साथ ही लोगों को शासन की कला का ज्ञान होता है। स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और

उसके समाधान को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। अतः स्थानीय स्व-शासन का तात्पर्य है- स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना और उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना, जिससे समस्या का निदान भी हो और लोकतांत्रिक स्वरूप की निचले स्तर तक स्वस्थ व्यवस्था भी स्थापित हो।

- 73वाँ संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। इसमें
  - ✓ त्रि-स्तरीय
  - ✓ प्रत्यक्ष चुनाव
  - ✓ आरक्षण
  - ✓ राज्य चुनाव आयुक्त

- 74वाँ संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगरपालिका भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध किये गए हैं। नगरपालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243Q में नगरपालिकाओं के तीन स्तरों के बारे में उपबंध हैं।
  - ✓ नगर पंचायत - ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है, जो गाँव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं।
  - ✓ नगरपालिका परिषद - इसे छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है।
  - ✓ नगर निगम - बड़े नगरीय क्षेत्रों , महानगरों में गठित की जाती है।

केंद्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध

हमारा देश स्वतंत्रता उपरांत केंद्र-राज्य संबंध का मसला अत्याधिक संवेदनशील मामला रहा है।[1] विषय चाहे अलग भाषाओं की पहचान, असमान विकास, राज्यों के गठन का हो, पुनर्गठन का हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा हो। ये सब केंद्र-राज्य संबंधों की सीमा में आते हैं। इनके अलावा देश में शिक्षा, व्यापार जैसे विषयों पर नीति निर्माण के सवाल उठने पर भी उसके केन्द्र में है केंद्र और राज्य के बीच में इनको लेकर क्या आपसी समझ है, यही महत्वपूर्ण होता है। संविधान के भाग- XI में अनुच्छेद 245 से 255 तक केन्द्र-राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित हैं।

केन्द्र-राज्य प्रशासनिक संबंध

अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ इस तरह प्रयोग लायी जाये कि संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सके। इस तरह संसद की विधि के अधीन विधियों का पालन हो सके। इस तरह संसद की विधि के अधीन राज्य कार्यपालिका शक्ति आ गयी है। केन्द्र राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो इस संबंध में आवश्यक हो।

अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में राज्य पर केन्द्र नियंत्रण की बात करता है। राज्य कार्यपालिका शक्ति इस तरह प्रयोग में ली जाये कि वह संघ कार्यपालिका से संघर्ष न करे। केन्द्र अनेक क्षेत्रों में राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्ति कैसे प्रयोग करे इस पर निर्देश दे सकता है। यदि राज्य निर्देश पालन में असफल रहा तो राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लाया जा सकता है।

अनुच्छेद 258[2] के अनुसार संसद को राज्य प्रशासनिक तंत्र को उस तरह प्रयोग लेने की शक्ति देता है जिनसे संघीय विधि पालित हो केन्द्र को अधिकार है कि वह राज्य में बिना उसकी मर्जी के सेना, केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाएँ भी केन्द्र को राज्य प्रशासन पे नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता देती हैं। अनु 262 संसद को अधिकार देता है कि वह अंतराज्य जल विवाद को सुलझाने हेतु विधि का निर्माण करे संसद ने अंतराज्य जल विवाद तथा बोर्ड एक्ट पारित किये थे। अनु 263 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह अंतराज्य परिषद स्थापित करे ताकि राज्यों के मध्य उत्पन्न भिन्न मतान्तर सुलझा सके।

निर्वाचन

आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहले पहल 1950 में गठित हुआ तब से और 15 अक्टूबर, 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था। 1993 से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। इसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी।मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन

भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से सम्बंधित सत्ता होती है जबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव की सत्ता सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए

निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है

निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ निर्वाचन विधियों की पूरक है न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरूद्ध प्रयोग नही की जा सकती है

अधिनियम संशोधन 1988 से इस प्रकार के संशोधन किये गये हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा. वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव मे इनका सर्वत्र प्रयोग हुआ तथा 2014 के बाद लगातार मतदान में इसका उपयोग होता आ रहा है
- राजनैतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा यदि वह चुनाव लड़ना चाहे तो कोई दल तभी पंजीकृत होगा जब वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन करे तथा उनका समावेश अपने दलीय संविधान मे करें
- मतदान केन्द्र पर कब्जा, जाली मत

संवैधानिक अनुसूचियां

भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। भारत का संविधान, नागरिकों और सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली और पालन की जाने वाली संहिता, प्रक्रियाओं, अधिकारों, कर्तव्यों, नियमों और विनियमों को समेटे हुए है। बी. आर. अम्बेडकर इसके मुख्य निर्माता और "भारतीय संविधान के जनक" के रूप में जाने जाते है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत के समय, इसमें 225 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब तक संविधान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान के भाग, और अनुसूचियों के साथ-साथ कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से जानें।

अनुसूचियां	विषय
पहली अनुसूची	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रदेशों की सूची
द्वितीय अनुसूची	राष्ट्रपति, राज्यपालों, राज्यों के अध्यक्ष, अध्यक्ष और लोक सभा के उपाध्यक्ष और राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष किसी राज्य के विधान परिषद के उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची।
तीसरी अनुसूची	शपथ का प्रारूप।
चौथी अनुसूची	राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान।
पांचवीं अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान।
सातवीं अनुसूची	संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
आठवीं अनुसूची	मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची।

नौवीं अनुसूची	कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान।
दसवीं अनुसूची	दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान।
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व।
बारहवीं अनुसूची	नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व।
तीसरी अनुसूची	शपथ का प्रारूप।
चौथी अनुसूची - राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान।	चौथी अनुसूची - राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान।

अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति

स्वतंत्रता के पहले भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) भारत में सभी सेवाओं में वरिष्ठतम थी। आईसीएस के आलवा भारतीय पुलिस सेवा भी थी। स्वतंत्रता के बाद ऐसा अनुभव किया गया कि यद्यपि आईसीएस शाही काल की बपौती थी, राष्ट्र की एकता, अखण्डता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की आवश्यकता थी। इसके अनुसार केंद्र और राज्यों के लिए एक समान एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 312 में एक प्रावधान किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संविधान के अनुच्छेद 312 की तर्ज पर संसद द्वारा गठित होती है। संविधान के लागू होने के बाद, एक नया अखिल भारत सेवा अर्थात भारतीय वन सेवा वर्ष 1966 में सृजित की गई। अखिल भारत की समान विशिष्टता यह है कि इन सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है परन्तु उनकी सेवाएं विभिन्न राज्य संवर्गों में दी जाती हैं और उनके लिए राज्य और केंद्र दोनों के अधीन सेवा देने का दायित्व होता है। अखिल भारत सेवाओं के ये पहलू भारतीय संघ की केंद्रीय विशेषता को मजबूत करते हैं।इसके अधिकारी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (तथा भारतीय पुलिस सेवा) में सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है तथा उनका आवंटन भारत सरकार द्वारा राज्यों को कर

दिया जाता है। आईएएस अधिकारी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक और महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं। सरकार के वेस्टमिंस्टर प्रणाली के बाद दूसरे देशों की तरह, भारत में स्थायी नौकरशाही के रूप में आईएएस भारत सरकार के कार्यकारी का एक अविभाज्य अंग है, और इसलिए प्रशासन को तटस्थता और निरंतरता प्रदान करता है।

तीन अखिल भारत सेवाओं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय आईएएस का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है। सभी तीन सेवाओं की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा की जाती है। इन अधिकारियों की नियुक्ति और इनका प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और उन्हें विभिन्न राज्य संवर्गों में आबंटित किया जाता है।

भारत के संविधान संघ एवं राज्यों के लिए समान अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की व्यवस्था करता है। अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियमावली बना सकती है। वर्तमान में केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में गठित किया गया है। इन सेवाओं पर भर्ती तदनुरूप अखिल भारतीय सेवा भर्ती नियमावली के तहत की जाती है और सीधी भर्ती (प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से) तथा राज्य संवा (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संयोजित समिति के माध्यम से) से पदोन्नति के द्वारा भर्ती की जाती है। अखिल भारतीय सेवा शाखा राज्य सरकार सेवा से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती से संबंधित है जो कि क्रमश: भारतीय प्रशासनिक सेवा./भारतीय पुलिस सेवा/ भारतीय वन सेवा पदोन्नति विनियम द्वारा शासित की जाती है।

अखिल भारतीय सेवा

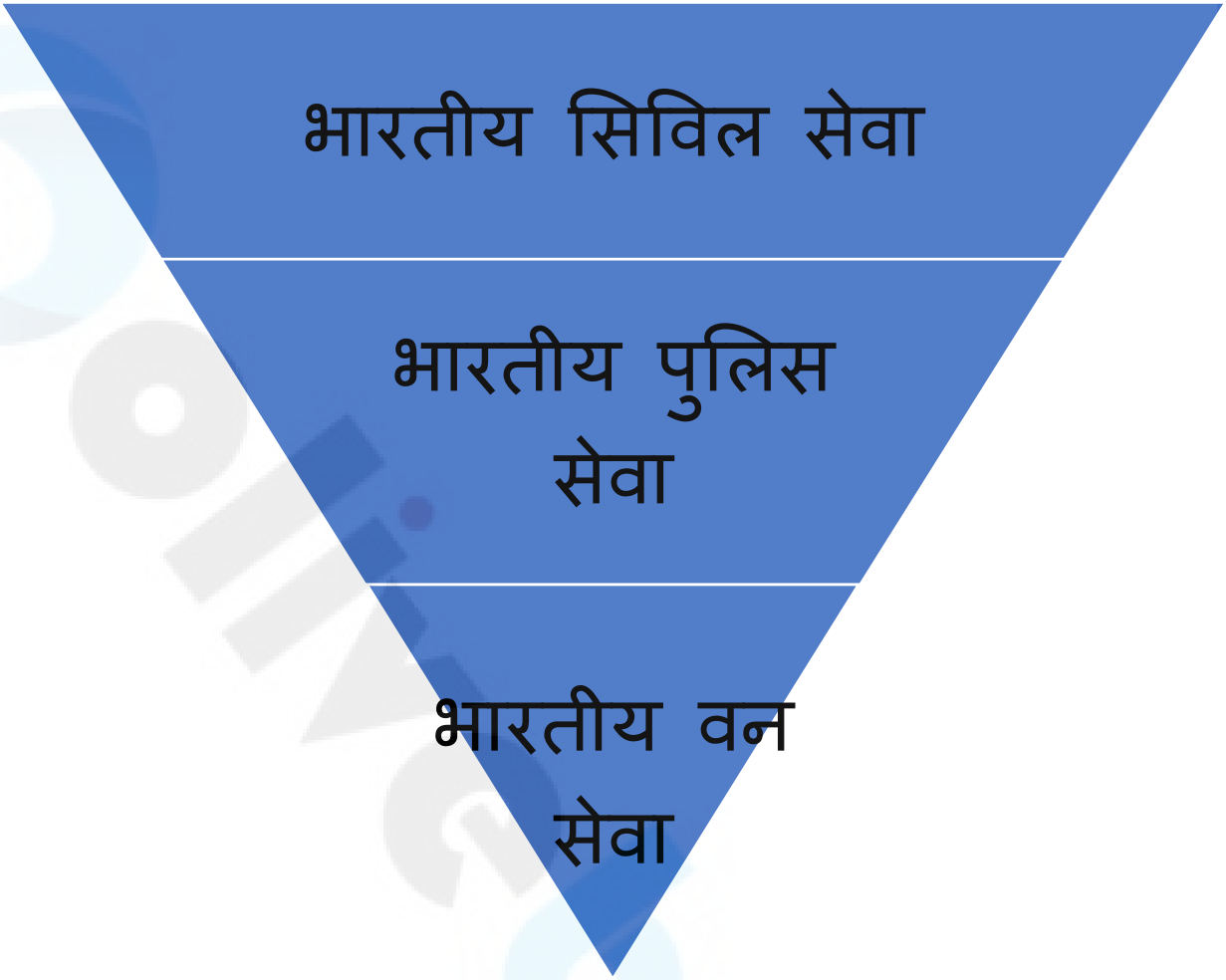

भाग 1 - दण्ड संहिता

(यहाँ डाउनलोड करें)

भाग 2 – प्रावधान और अधिनियम

(यहाँ डाउनलोड करें)

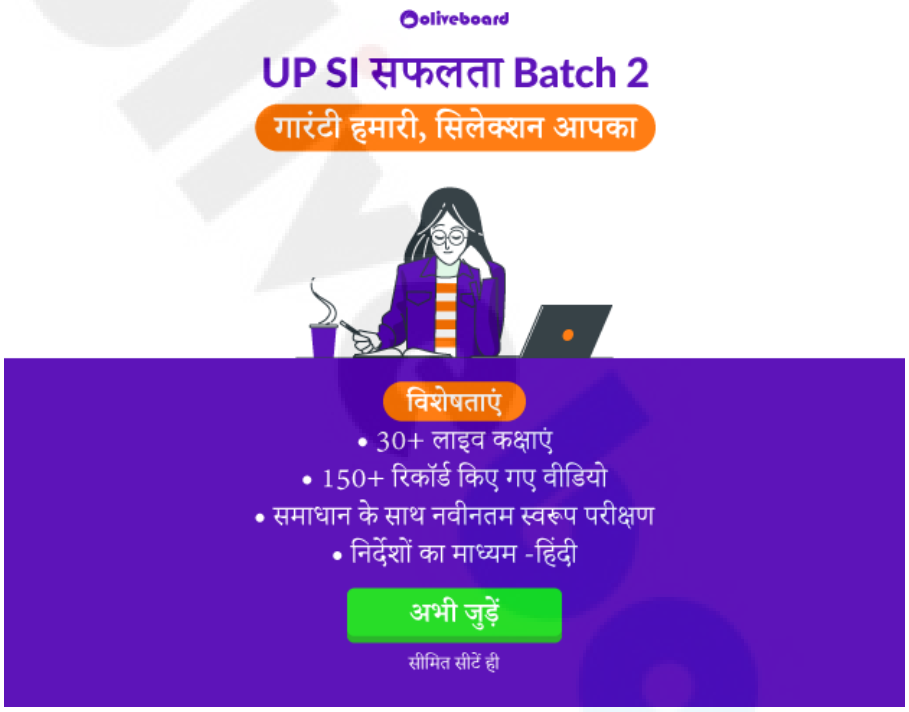

FREE Ebooks

Download Now

Current Affairs

Explore Now

FREE MOCK TESTS + TOPIC TESTS + SECTIONAL TESTS

For Banking, Insurance, SSC & Railways Exams

Web

APP

BLOG

Your one-stop destination for all exam related information & preparation resources.

Explore Now

FORUM

Interact with peers & experts, exchange scores & improve your preparation.

Explore Now